

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:-प.163 (177)/मुसप्र/लॉटरी/प्रशिक्षण/2010-11/६३ दिनांक:- 7-6-11

कार्यालय आदेश

विषय:- मण्डल की योजनाओं में वरियता निर्धारण/आवास आवंटन लॉटरी, राजकॉम्प विभाग से तैयार वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर से निकाले जाने के संबंध में ।


मण्डल के आदेश क्रमांक प.163/मुसप्र/लॉटरी/2010/2354/ दिनांक 20.12.2010 के द्वारा मण्डल की सभी योजनाओं में पंजीकृत आवेदकों की वरियता निर्धारण एवं आवास आवंटन हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी के कार्यक्रम में एक रूपता बनाये रखने के उद्देश्य से मानदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाकर कम्प्यूटर द्वारा रेन्डम प्रणाली से निकाले जाने हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया था। उक्त आदेशों के निरन्तर क्रम में राजकीय संस्था राजकॉम्प से वेब बेस्ड नवीन सॉफ्टवेयर तैयार करवाया गया तथा इस सॉफ्टवेयर से ही मण्डल के पंजीकृत आवेदकों की वरियता एवं आवास आवंटन लॉटरी निकाले जाने का प्रशिक्षण राजकॉम्प द्वारा मण्डल के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता तथा आवासन प्रकोष्ठ से संबंधित अधिकारी/कार्मिकों को दिनांक 21.02.2011 एवं 22.02.2011 को, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

अतः समस्त उप आवासन आयुक्त एवं स्वतंत्र खण्ड-कार्यालयों के आवासीय अभियंताओं को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक: प.163/मुसप्र/लॉटरी/2010/2354/ दिनांक 20.12.2010 के निरन्तर क्रम में आदेशित किया जाता है कि उनके अधीन योजनाओं में पंजीकृत आवेदकों की वरियता निर्धारण/आवास आवंटन लॉटरी, भविष्य में राजकॉम्प विभाग से तैयार वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर से ही निकाली जावे।


(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आवा. मण्डल, जयपुर।
7. निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
9. आवासीय अभियंता, खण्ड-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
10. ए.सी.पी., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट पर डालें।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक